प्रेस नोट दिनांक 15.07.2024

थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़

01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक श्री डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना संग्रामगढ़ के उ0नि0 राजबहादुर सिंह मय हमराह उ0नि0 सुनील कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान, एसटीनं0 779/11 अ0सं0 67/10 धारा 498ए, 304बी भादवि व धारा 3/4 डीपी एक्ट से संबंधित वारण्टी अभियुक्त धीरज पुत्र ज्ञानपुत्र नि0 गनऊ का पुरवा पूरे चमेला थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. धीरज पुत्र ज्ञानपुत्र नि0 गनऊ का पुरवा पूरे चमेला थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ0नि0 राजबहादुर सिंह मय हमराह उ0नि0 सुनील कुमार थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री डा0 अनिल कुमार के द्वारा शातिर अभ्यस्त व सक्रिय गिरोहबन्द अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

जनपद में पुलिस अधीक्षक का अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टालरेंस नीति

पुलिस अधीक्षक द्वारा गैगेस्टर जैसे जघन्य अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चेकिंग के दिए गये थे सख्त निर्देश

चेकिंग के दौरान थाना लालगंज पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत धधुआगाजन नहर पुलिया के पास से 01 अभियुक्त गिरफ्तार,

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद

अभियुक्त रंजीत सरोज उपरोक्त, थाना महेशगंज के, चोरी के मुकदमें 09/2020 धारा 457/380 भादवि में था वांछित।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री डा0 अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी, प्रतापगढ़ श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी लालगंज नीरज कुमार यादव के नेतृत्व में दिनांक

15.07.2024 को समय 0ः00 बजे उ0नि0 राजेश कुमार यादव मय हमराह उ0नि0 ज्ञानचन्द्र तिवारी हे0का0 रामकुमार यादव, का0 संजय कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ चेकिंग के दौरान क्षेत्रान्तर्गत धधुआगाजन नहर पुलिया के पास से 01 अभियुक्त रंजीत सरोज पुत्र राजाराम सरोज निवासी सलेम भदारी थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ को 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त रंजीत सरोज ने थाना महेशगंज क्षेत्रांतर्गत अपने साले के साथ मिलकर व उसके 02 दोस्तों के साथ मिलकर एक घर में घुसकर सोने चांदी के गहने व रुपये चोरी किया था। थाना महेशगंज में इस संबंध में मु0अ0सं0 09/2020 धारा 457, 380 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त रंजीत सरोज उपरोक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। उक्त बरामदगी के संबंध में थाना लालगंज में मु0अ0सं0 275/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01- रंजीत सरोज पुत्र राजाराम सरोज निवासी सलेम भदारी थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त रंजीत सरोज उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 09/2020 धारा 457/380 भादवि थाना महेशगंज।

08. मु0अ0सं0 275/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

01. अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर बरामद।

01. अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का विवरण-

01. उ0नि0 राजेश कुमार यादव थाना लालगंज प्रतापगढ़।

02. उ0नि0 ज्ञानचन्द्र तिवारी थाना लालगंज प्रतापगढ़।

03. हे0का0 रामकुमार यादव थाना लालगंज प्रतापगढ़।

04. का0 संजय कुमार थाना लालगंज प्रतापगढ़।

थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री डा0 अनिल कुमार के द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

जनपद में पुलिस अधीक्षक का अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टालरेंस नीति
पुलिस अधीक्षक द्वारा चेकिंग के दिए गये थे सख्त निर्देश
चेकिंग के दौरान थाना कंधई पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत बहेलिया बस्ती से ताला जाने वाले खण्ड़जा मार्ग ताला के पास से 01 अभियुक्त गिरफ्तार,
अभियुक्त हफीज गोवध व आम्र्स एक्ट जैसे मुकदमें में जा चुका है जेल।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री डा0 अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी, प्रतापगढ़ श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री आनन्द कुमार राय के कुशल पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक अवन कुमार दीक्षित के नेतृत्व में उ0नि0 रज्जन राव मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर दिनांक 14.07.2024 को समय 20.15 बजे 01 अभियुक्त हफीज पुत्र सहाबुद्दीन उर्फ भूट्टर निवासी रामपुर कुर्मियान थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ को 01 अदद देशी तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ थाना क्षेत्रान्तर्गत बहेलिया बस्ती से ताला जाने वाले खण्ड़जा मार्ग ताला के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त हफीज उपरोक्त के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद किया गया। बरामदगी के संबंध में थाना स्थानीय थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 199/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में पंजीकृत किया गया।*

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. हफीज पुत्र सहाबुद्दीन उर्फ भूट्टर निवासी रामपुर कुर्मियान थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ उम्र 27 वर्ष।

बरामदगी- 01 अदद देशी तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर

अभियुक्त आपराधिक इतिहास-
01. मु0अ0सं0 50/15 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम थाना कन्धई,प्रता0
02. मु0अ0सं0 69/16 धारा 110(G) सीआरपीसी थाना कन्धई,प्रता0
03. मु0अ0सं0 199/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कन्धई,प्रता0

गिरफ्तार करने वाले पुलिस पार्टी का नाम-
01. उ0नि0 रज्जन राव थाना कंधई जनपद प्रतागपढ़
02. उ0नि0 राजेश कुमार थाना कंधई जनपद प्रतागपढ़
03. SIUT शिवम सिंह थाना कंधई जनपद प्रतागपढ़
04. हे0का0 ऋषिकेश तिवारी थाना कंधई जनपद प्रतागपढ़
05. का0 सलमान अहमद थाना कंधई जनपद प्रतागपढ़

06. का0 किशन कुमार थाना कंधई जनपद प्रतागपढ़

थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा. अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी
थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत रेलवे स्टेशन गढ़ी मानिकपुर के पास से 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार
थाना मानिकपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पुरे अली नकी में वादी के पुत्र की गैर इरादतन हत्या के अभियोग में आरोपियों की गिरफ्तारी

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 14.07.2024 को सुबह थाना मानिकपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पुरे अली नकी में वादी माशूक अली पुत्र स्व0 बरकत अली कस्बा पूरेअली नकी मानिकपुर प्रतापगढ़ के घर के सामने पडोसी मुस्तकीम उर्फ बब्लू, असलम पुत्रगण स्व0 आसिफ अली नशा कर रहे थे, जिनको वादी के पुत्र मृतक नायब अली द्वारा रोका गया किन्तु अभियुक्त झगड़ा करने लगे, जिससे मृतक को धक्का लगने से गिर जाने के कारण तबीयत बिगड़ गई। परिवारजनों द्वारा इलाज हेतु हेमंत हॉस्पिटल कस्बा मानिकपुर ले जाया गया जहां पर चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। जिसके संबंध में थाना मानिकपुर में दिनांक 14.07.2024 को वादी की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 144/2024 धारा 105 बीएनएस बनाम 01. मुस्तकीम उर्फ बबलू पुत्र स्वर्गीय आशिक अली उम्र करीब 40 वर्ष, 02. असलम पुत्र स्वर्गीय आशिक अली उम्र करीब 45 वर्ष निवासीगण पुरे अली नकी थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री डा0 अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी, प्रतापगढ़ श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अजीत कुमार सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक जयचन्द्र भारती के नेतृत्व में दिनांक 15.07.2024 को समय 10.58 बजे उ0नि0 जिलेदार पाल मय हमराह उ0नि0 उमेश प्रताप सिंह, का0 जगत सिंह, का0 दुर्गेश कुमार, चालक का0 शिवशंकर यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त एवं संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग से संबंधित 02 अभियुक्त, 01. मुस्तकीम उर्फ बब्लू पुत्र स्व0 आशिक अली उम्र करीब 40 वर्ष, 02.असलम पुत्र स्व0 आशिक अली उम्र करीब 45 वर्ष निवासीगण पुरे अली नकी थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्रान्तर्गत रेलवे स्टेशन गढ़ी मानिकपुर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. मुस्तकीम उर्फ बब्लू पुत्र स्व0 आशिक अली उम्र करीब 40 वर्ष, निवासी पुरे अली नकी थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।

02. असलम पुत्र स्व0 आशिक अली उम्र करीब 45 वर्ष निवासी पुरे अली नकी थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम का विवरण-

01. उ0नि0 जिलेदार पाल थाना मानिकपुर, प्रतापगढ़।

02. उ0नि0 उमेश प्रताप सिंह थाना मानिकपुर, प्रतापगढ़।

03. का0 जगत सिंह थाना मानिकपुर, प्रतापगढ़।

04. का0 दुर्गेश कुमार थाना मानिकपुर, प्रतापगढ़।

05. चालक का0 शिवशंकर यादव थाना मानिकपुर, प्रतापगढ़।